न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 01/2021 दर्ज दिनांक–08.01.2021

श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम जाति– मेघवाल निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ, जिला–झुझुंनू
– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़
–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 02.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खिरोड़की सरहद मे भूमि खाता संख्या नया 333 पुराना 268 के अन्तर्गत खसरा नं. 2089,2098,2099,2100 रकबा क्रमशः 0.2600,0.0600,0.0500,3.1600 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.5300 है0जिसमे आवेदक का 1/4 हिस्सा है। जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे श्रवण कुमार पुत्र खेमला दर्ज है जबकी प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम है। इसलिए प्रा0 पत्र रिकार्ड मे शुद्वि के लिए पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी के आधार कार्ड ,सर्विस आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैक पास बुक सभी मे श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी मे भूमि खाता सं. 2089,2098,2099,2100 रकबा क्रमशः 0.2600,0.0600,0.0500,3.1600 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.5300 है0 मे श्रवण कुमार पुत्र खेमला है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खिरोड़ की सरहद मे भूमि खाता संख्या 2089,2098,2099,2100 रकबा क्रमशः 0.2600,0.0600,0.0500,3.1600 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.5300 है0 जिसमे आवेदक का 1/4 हिस्सा है के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण कुमार पुत्र खेमला की जगह श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव न्यायसंगत है। जिसको इसी अनुसार शुद्वि कराने के लिये तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। प्रा0 पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है तथां प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान् को पूर्ण क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जलदाय विभाग बिल,बैंक पास बुक व विधुत बिल सभी में श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम दर्ज है।,जिसकी त्रस्दिक तहसीलदार नवलगढ़ की रिर्पोट द्वारा भी होती है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खिरोड की सरहद मे भूमि खाता संख्या नया 333 पुराना 268 के अन्तर्गत खसरा नं. 2089,2098,2099,2100 रकबा क्रमशः 0.2600,0.0600,0.0500,3.1600 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.5300 है0 जिसमे आवेदक का 1/4 हिस्सा दर्ज है मे प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार पुत्र खेमला की जगह श्रवण कुमार पुत्र खम्भाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.03.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned by CamScanner